भीम

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट जिला डूंगरपुर(राज.)

**पीठासीन अधिकारी:— श्री विनित कुमार सुखाडिया (आरएएस)**
**उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट**

**अनवान**

| वादी | | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| **श्री नाथु , नवनीत पिता भाणजी पाटीदार** | **बनाम** | **भूमिधारी तहसीलदार गलियाकोट** |
| **निवासी चितरी तहसील गलियाकोट** | | **जिला डूँगरपुर** |

**राजस्व वाद संख्या : 2021/22** — **दायर दिनांक :— 29/11/2021**
**निर्णय दिनांक :— 09/09/2022**

**वाद बाबत् अन्तर्गत राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 136**
**व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, सपठित धारा 209**

- **वकील वादी मंयक दोसी**

## ::निर्णय::

वकील वादीगण द्वारा पेश वाद धारा 88, 89, सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राज0लै0रे0एक्ट 1956 अन्तर्गत दिनांक 29.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण वकील द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि मौजा चितरी के साबिक सेटलमेंट खसरा नम्बर 3081 रकबा 1 बिघा भूमि थी। उक्त भूमि संवत् 2011 में राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता व देवजी, पदमजी पिसरान डूँगर एवं हकरजी पटेल वगैरा के नाम से दर्ज थी। संवत 2022 के सैटलमेन्ट मे खसरा नम्बर 3081 की भूमि के 2 भाग होकर इनका नवीन खसरा संख्या 4079 रकबा 3 बीस्वा किस्म आ0कूँडी बिलानाम व 4084 रकबा 17 बिस्वा खलियान बिलानाम दर्ज रेकार्ड हुआ। उक्त भूमि पर वादीगण के पिता व श्री हकरजी का कब्जा था। वादीगण के पिता ने खसरा नम्बर 3081 से बनी खसरा नम्बर 4079 की भूमि पर एक कुँआ भी खुदवाया था। साबीक (गत सेटलमेंट) खसरा नम्बर 3081 से बनी खसरा नम्बर 4084 की रकबा 17 बिस्वा भूमि में से 10 बिस्वा भूमि श्री हकरजी के हिस्से में आई जो इस 10 बिस्वा भूमि पर हकरजी काबिज है। खसरा नम्बर 4079 की रकबा 3 बिस्वा भूमि व 4084 की शेष 7 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता के हिस्से में आई। जिस पर वादीगण के पिता एवं उनके बाद वादीगण काबिज है। खसरा नम्बर 4079 की रकबा 3 बिस्वा भूमि पर (0.0242 है) पर वादीगण का कब्जा है लेकिन राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम हटाकर इसे बिलानाम आ0 कूँडी अंकित कि[illegible] जिसे दूरस्त कर 4079 की 3 बिस्वा किस्म आ0कूँडी भूमि का वादी[illegible]

वाद का जवाब भूमिधारी तहसीलदार ने प्रस्तुत कर [illegible] है कि मौजा चितरी का साबीक खसरा नम्बर 3081 रकबा 1 बीघा था जिसके [illegible] अनुसार नवीन सेटलमेंट (हाल) के खसरा नम्बर 4079 रकबा 3 बिस्वा आ0 कूँडी बिलानाम तथा 4084 रकबा 17 बिस्वा खलियान बिलानाम भूमि भू प्रबन्ध सकिया के दौरान दर्ज हुई है तथा खसरा नम्बर 4079 कुल 3 बिस्वा किस्म आ0 कूँडी भूमि में से 2 बिस्वा भूमि किस्म आ0 कूँडी पर वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2022.10.20 20:18:48 IST
Reason: SelfAttested

भीम BHIM

Azadi Ka Amrit Mahotsav

का कब्जा होने से वादीगण के नाम दर्ज करने तथा वर्णित आराजी में 1 बिस्वा भूमि यथावत बिलानाम सिवायचक रखने निवेदन किया है।

पक्षकरान की बहस सुनी गई। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार गलियाकोट के द्वारा अपने जवाब दिनांक 30.05.2022 में यह स्वीकार किया है कि मौजा चितरी का खसरा नम्बर 4079 कुल 3 बिस्वा किस्म आ0 कूँडी भूमि में से 2 बिस्वा भूमि किस्म आ0 कूँडी पर वादीगण का कब्जा होने से वादीगण के नाम दर्ज करने तथा वर्णित आराजी में 1 बिस्वा भूमि यथावत बिलानाम सिवायचक रखने निवेदन किया है। खसरा नम्बर 4079 रकबा 3 बिस्वा आ0 कूँडी बिलानाम में से 2 बिस्वा आ0 कूँडी भूमि वादीगण के नाम दर्ज करने की स्वीकारोक्ति होने से वाद में तनकियात कायम करने की आवश्यकता नही है।

मेरें द्वारा पत्रावली का आद्योपन्त अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मौजा चितरी का साबिक खसरा नम्बर 3081 रकबा 1 बीघा भूमि वादीगण के पिता एवं अन्य के खातेदारी थी जिसके नवीन आराजी फर्द तुलनात्मक अनुसार 4079 रकबा 3 बिस्वा आ0 कूँडी बिलानाम तथा 4084 रकबा 17 बिस्वा खलियान बिलानाम सेटलमेंन्ट हाल के दौरान दर्ज हुए है। जिससे वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर मौजा चितरी के खसरा नम्बर 4079 कुल रकबा 3 बिस्वा (0.0242 हैक्टयर) आ0 कूँडी बिलानाम भूमि में से रकबा 2 बिस्वा (0.0162 हैक्टयर ) भूमि किस्म आ0 कूँडी का वादीगण नाथु, नवनीत पिता भाणजी पाटीदार को खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 4079 का शेष रकबा 1 बिस्वा (0.0081 हैक्टयर) भूमि आ0 कूँडी यथावत बिलानाम रहेगी। तहसीलदार गलियाकोट (भूमिधारी) को निर्णय की पालना में मौके की स्थिति अनुसार नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने का आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनित कुमार सुखाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
गलियाकोट

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2022.10.20 20:18:48 IST
Reason: SelfAttested

# डिकी बमुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – गलियाकोट

बईजलास – श्री विनित सुखाडिया आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी गलियाकोट

श्री नाथु, नवनीत पिता भाणजी जाति पाटीदार निवासी चितरी — बनाम — भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहलसीदार, गलियाकोट

**वाद बाबत् अन्तर्गत राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट धारा 88, 89, सपठित धारा 209 रा0 टी0 ए0 धारा 136**

वकील वादी मंयक दोसी

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री विनित सुखडिया आर0ए0एस0 मनिजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि मौजा चितरी के हाल सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 4079 कुल रकबा 3 (0.0242 हैक्टयर) आ0 कूॅडी बिलानाम भूमि में से रकबा 2 बिस्वा (0.0162 हैक्टयर ) भूमि किस्म आ0 कूॅडी का वादीगण नाथु, नवनीत पिता भाणजी पाटीदार को खातेदार घोषित किया जाता है एवं खसरा नम्बर 4079 का शेष रकबा 1 बिस्वा (0.0081 हैक्टयर) भूमि आ0 कूॅडी यथावत बिलानाम रहेगी। तहसीलदार गलियाकोट (भूमिधारी) को निर्णय की पालना में मौके की स्थिति अनुसार नक्शे में तरमीम कर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेशित किया जाता है।

नीज ............ मुबलिग........................बाबत....................................खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर..........................................फीसदी आज तारीख से तारीख बवसूलयाबी तक.................... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.09.2022 को जारी की गई।

(विनित कुमार सुखाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
गलियाकोट

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

| मुद्धई | रूपया | पै0 | मुद्धायला | रूपया | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प | 0 | 0 | स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 |
| वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अरजी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0 | 0 | महनताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| फीस कमीश्नर | 0 | 0 | फीस कमीश्नर | 0 | 0 |
| बबत ईजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मीजान | 0 | 0 | मुतफर्रिक | | |
| | | | | 0 | 0 |
| | शून्य | शून्य | | शून्य | शून्य |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Date: 2022.10.20 20:18:48 IST
Reason: SelfAttested

(विनित कुमार सुखाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
गलियाकोट

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)